Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063
Impact Factor : 3.4052(UIF)
Volume-4 | Issue-8 | Feb-2015
Available online at lbp.world

भारतीय राजनीति में चुनाव सुधार

सुनीता चौहान
सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान , राजकीय स्नातकोतर महाविधालय नारायणगढ़ (अम्बाला)

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस प्रणाली में शासन संचालन लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है ऐसी शासन प्रणाली में प्रतिनिधियों के चुनाव के विषय में अनिवार्य व्यवस्था की जाती है. भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की है कि भारत में चुनाव करवाने का संपूर्ण काम चुनाव आयोग का है. संविधान के अनुच्छेद 324(2) में चुनाव आयोग की व्यवस्था है, जिस पर चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न करवाने की जिम्मेवारी है . यह चुनाव आयोग की सफलता है कि भारत में 16 वीं लोक सभा चल रही है . लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जनता आसानी से बिना किसी क्रांति के बिना खून खराबे के एक व्यक्ति को कुर्सी से उतारती है वह दूसरे को बिठा देती है सत्ता परिवर्तन का इससे सरल तरीका दूसरा नहीं हो सकता.

ऐसे भारतीय चुनाव पद्धति कार्य कर रही है. इस समय से लेकर अब तक इस प्रणाली के अनेक दोष सामने आए हैं . कई विख्यात व्यक्तियों ने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं . 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने एक समिति की नियुक्ति की थी. जिसे चुनाव सुधारों पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था . इस समिति में M. R. Masani, M. R. Mavlankar , A. G. Nurani आदि प्रसिद्ध सावर्जनिक हस्तियां शामिल थी. कांग्रेस ने भी अपने महासचिव V. N Gadgil की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी . जिसने चुनाव सुधारों संबंधी पूर्ण अध्ययन के पश्चात अपनी रिपोर्ट कांग्रेस प्रधान या अध्यक्ष को पेश करनी थी. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उस रिपोर्ट पर अक्टूबर 1988 में विचार किया था और सुधारों संबंधी प्रस्ताव पास किए थे.1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने भी चुनाव सुधारों पर अपनी रिपोर्ट पेश की

विभिन्न समितिया :-

तारकुंडे समिति :- 1976 सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी संस्था द्वारा चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए वी एम तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी श्री वी एम तारकुंडे समिति ने इस संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए थे:-

मतदान की आयु 18 वर्ष करना . यह 61 वें सभी संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई थी.

राजनीतिक दलों के आय-व्यय का हिसाब रखना अनिवार्य किया जाए तथा निर्वाचन आयोग को इसकी जांच करनी चाहिऍ.

राजनीतिक दलों को दान देने वालों को आयकर में छूट का प्रावधान है .

लोकसभा या विधानसभा के विघटन और नए चुनाव की घोषणा के बाद सरकार कामचलाउ सरकार की तरह कार्य करें . चुनाव के समय मंत्री सरकारी वाहनो का प्रयोग प्रचार में ना करें ना हीं सरकारी धन व तंत्र का प्रयोग हो .

लोकसभा के चुनाव हेतु नामांकन 2000 तथा विधानसभा के नामांकन हेतु 1000 किया जाए.

कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी समिति :- 1990 **राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा आम चुनाव सुधारों पर सुझाव देने के लिए दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसकी सिफारिशें निम्नलिखित है.**

कब्जा किए गए मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान हो.
सीटों के आरक्षण हेतु रोटेशन प्रक्रिया अपनाई जाए.
चुनाव याचिकाओं का शीघ्र निस्तारण किया जाए.
मतदान इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा करवाया जाए.
रिक्त हु एस्थान के लिए छह माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य किया जाए.
मतदाताओं को परिचय पत्र उपलब्ध कराया जाए.

के स्थानम् समिति:-
के स्थानम की अध्यक्षता वाली समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की.
चुनाव में भाग लेने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जाए
राजनीतिक दलों के पंजीकरण दलों के संविधान तथा सदस्यों के पंजीकरण संबंधी योग्यता निर्धरित की जाए.
निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के अधीन किया जाए तथा दोषी निर्वाचन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार निर्वाचन आयोग को दिया जाए
समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए .

टी एन सेशन की सिफारिशे :- **अप्रैल** 1992 **में तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयोग टी एन सेशन ने चुनाव सुधारों के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की थी** :-
लोकतंत्र तथा राज्य विधानसभाओं के लिए नामांकन शुल्क क्रमशः 5000 **तथा** 2500 **किया जाए**
लोकसभा के उम्मीदवार हेतु 10 **प्रस्तावको का तथा** 10 **समर्थको द्वारा तथा राज्य विधानसभा चुनाव के लिए** 10 **समर्थकों का होना अनिवार्य किया जाए.**
एक से अधिक स्थानों से चुनाव लड़ना प्रतिबंधित किया जाए.
प्रतिबंधित किया जाए चुनाव प्रचार की अवधि 14 **दिन की जाए.**
मतदाताओं को पहचान पत्र जारी किया जाए.
मतपेटी को छिनना अथवा अनाधिकार मतदान संज्ञय अपराधों की श्रेणी में रखा जाए.
राजनीतिक दलों के आय-व्यय का लेखा जोखा निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अभिकरण द्वारा करवाया जाए.
आचार संहिता का पालन नहीं करने वाले प्रत्याशियों को 5 **वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाए.**
इंदरजीत समिति :- 22 **मई** 1998 **को संपन्न सर्वदलीय सम्मेलन की सिफारिश पर जून** 1998 **में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ सांसद इंद्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गई इस समिति द्वारा सिफारिशे अगस्त** 2000 **में की गई जो किनिम्नलिखित है** :-
राजनीतिक दलों को चुनाव में खर्च करने हेतु धनराशि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाए
चुनाव खर्चों का हिसाब रखने के लिए एक सावर्जनिक समिति बनाई जाए
अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए

2002 में एक विधेयक पारित किया गया जिसमें जिसके द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया गया. इसके द्वारा कोई भी अपराधी सजा पूरी करने के छ: वर्ष बाद तक चुनाव लड़ने के अयोग्य रहेगा.किसी अपराध में केवल जुर्माना आरोपित किए जाने की स्थिति में वह 6 वर्ष तक चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकेगा.

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जनवरी 2002 में यह निर्देश दिए हैं कि वह प्रत्याशी खर्च का ब्यौरा चुनाव समाप्त होने के पश्चात 45 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को प्रस्तुत करें. चुनाव खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत न करने की स्थिति में निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह और मान्यता निलंबित जैसी कारवाई कर सकता है.

मार्च 2003 में उच्चतम न्यायालय में उपयुक्त विधेयक में चुनाव के समय उम्मीदवारी का पर्चा भरते समय सभी उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक योग्यता और आर्थिक स्थिति की घोषणा करने से प्रदान की गई छूट को गलत बताया. न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार की चुनाव लड़ते समय अपने अपराधिक जीवन शैक्षणिक योग्यता और आर्थिक स्थिति की घोषणा की जानी चाहिए जिससे मतदाताओं को प्रत्याशी के चयन में सुविधा हो.

भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार :-

बहु सदस्यीय चुनाव आयोग की सवैंधानिक व्यवस्था : - यह एक आम राय है कि भारतीय चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होने चाहिए. संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की रचना के विषय में यह व्यवस्था है कि इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं. वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चुनाव आयोग का बहु- सदस्य सवरूप केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है. केंद्र सरकार की इच्छा पर ही राष्ट्रपति अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है. चुनाव आयोग की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है कि इसका समरूप बहू सदस्यीय हो. संविधान में संशोधन करके चुनाव आयुक्तों की संख्या स्पष्ट तौर पर निश्चित कर देनी चाहिए ताकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं रह सके.

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की विधि :- वर्तमान सविधानिक व्यवस्था के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है परंतु वास्तव में यह नियुक्ति प्रधानमंत्री की स्वेच्छा से होती है क्योंकि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श से ही कार्य पूर्ण करता है अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की शक्ति भी राष्ट्रपति को दी गई है परंतु यह विधि दोषपूर्ण है क्योंकि ऐसे व्यक्ति सरकार के दबाव से मुक्त नहीं रह सकते

सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर प्रतिबंध:- चुनाव के मध्य सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को रोकना अति आवश्यक है. इस विषय के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाओं का सुझाव दिया जाता है .

1. चुनाव से दो मास पूर्व सरकार को त्यागपत्र देना चाहिए. जब तक नहीं चुनाव नहीं हो जाते साफ चरित्र वाले किसी व्यक्ति को कार्यवाहक शासक की बागडोर संभालने चाहिए.कार्यवाहक सरकार को नवीन नीतियों की घोषणा करने सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में वृद्धि कर रहे नई योजनाओं की घोषणा करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए. इस तरह का सुझाव मुख्य चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह जी ने 25 अगस्त 1998 को दिया था.
2. इस समय के दौरान सरकार की उपलब्धियों सम्बन्धी अख़बारों या दूरदर्शन में सरकारी खर्चे पर विज्ञापन देने की मनाही ह
3. कार्यवाहक सरकार को सरकारी अधिकारियों के स्थानांतरण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए. ऐसी रोक विशेषत: उच्च अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में होनी चाहिए.

उम्मीदवारों के लिए उम्र की अधिकतम सीमा निश्चित होनी चाहिए. चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र की अधिकतम सीमा निश्चित की जानी अति आवश्यक है. स्वास्थ्य में सुधार ने होने के बाबजूद भी बड़ी उम्र के राजनीतिज्ञ चुनाव लड़ने से संकोच नहीं करते तथा किसी न किसी रुप में राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में तत्पर रहते हैं. हमारे देश में चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति 8 साल से अधिक राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता हमारे देश में चुनाव लड़ने की अधिकतम सीमा निश्चित नहीं है.

चुने हु एप्रतिनिधियों को वापस बुलाने की व्यवस्था:- स्विट्ज़रलैंड में व्यवस्था है कि यदि चुने हु एप्रतिनिधि जनता से किए हु एवादे पूरे नहीं करते हैं तो जनता उन्हे वापिस बुला सकती है. हमें भी वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए.

चुनाव खर्चों का निर्धारण उस पर नियंत्रण :- उम्मीद्वारों द्वारा चुनाव पर खर्च किया गया धन उस उम्मीदवार के चुनाव खर्च को निश्चित करने में शामिल किया जाना चाहिए. सभी खर्चों का निरीक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लिया जाना जरूरी है तथा प्रत्येक प्रविष्टियों के लिए कठोर दंड दिया जाना चाहिए.

किसी को वोट नही का विकल्प :- यदि वोटर किसी उम्मीदवार को वोट डालना पसंद नहीं करता उसके किए " इनमें से कोई नहीं " का विकल्प उपलब्ध हो .

स्वेछिक मतदान की अपेक्षा अनिवार्य मतदान :- मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी के लिए वोट डालना अनिवार्य कर देना चाहिए.

जेल से चुनाव लड़ने पर रोक :- चुनाव में अपराधिक तत्वों को समापत करने के लिए आवश्यकता है कि जेल से चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए.

धन शक्ति के अनुचित प्रभाव को रोकना :- हमारे देश में चुनावों के दौरान काले धन का प्रयोग बहु तअधिक होता है. काला धन पर कोई आयकर नहीं दिया जाता तथा उसका कोई हिसाब-किताब नहीं होता. व्यापारी नेताओं को वित्तीय सहायता देते हैं बड़े बड़े पूंजीपति अक्सर काले धन का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करते हैं. राजनीतिक दल चुनाव के दौरान बहु त अधिक काला धन ख़र्च करते हैं परंतु उसका कोई हिसाब-किताब नहीं होता धन की शक्ति के अनुचित प्रभाव को कम करना आवश्यक है.

उम्मीदवारों के लिए शिक्षा संबधी योग्यताए:- यह बडी विडंबना है कि नौकरी के लिए चपरासी के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान है परंतु संसद व विधानसभा के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है. जिससे सिद्धांतहीन, स्वार्थी, जातीय व सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिलता है. इसलिए चुनावों में न्यूनतम शैक्षणिक योगिता सुनिश्चित की जाए.

वर्तमान चुनाव प्रणाली में चुनाव याचिका के फैसले करने में बहु तसमय लग जाता है 1966 से पहले चुनाव याचिका की सुनवाई अपील चुनाव अदालतों द्वारा की जाती थी परंतु 1966 में इसकी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था. इसके स्थान पर इन याचिकाओं का फैसला करने की शक्ति दे दी गई है. उच्च अदालतों के पास दूसरे मुकदमों का इतना अधिक कार्य है की अदालते चुनाव का फैसला निश्चित समय के अंदर नहीं कर सकती है. चुनाव प्रतिनिधि कानून अनुसार चुनाव का फैसला छह माह के अंदर होना जरूरी है. ऐसा तभी संभव हो सकता है यदि उच्च अदालतों में कुछ विशेष जज इस उद्देश्य के लिए लगाये जाए. ऐसा किया जाना जरूरी है क्योंकि बहु तसमय के उपरांत किए गए याचिकाओं के निर्णयों का कोई महत्व नहीं रह जाता है.

लोकसभा विधानसभाओं के एक ही समय पर चुनाव :- लोकसभा व विधानसभाओ तथा स्थानिक संस्थाओं के चुनाव एक ही समय पर किए जाएं. यह कदम उठाने से हर किस्म के चुनाव खर्चे बहु त घट जाएंगे तथा प्रशासनिक ढांचे में क्षेत्रीय दल प्रणाली का विकास होगा.

नकली उम्मीदवारों का उत्साह समापत करना :- साधारण उम्मीदवारों का उत्साह समापत करने के लिए चुनाव आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की थी :-

1. लोकसभा में राज्य विधानसभा के उम्मीदवारों के लिए जमानत की राशि की सीमा बढ़ा दी जाए.
2. टेलीफोन व कम दरों पर छापे खाने की सुविधा उम्मीदवारों को न दी जाए .
3. 20% से कम वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जाए.

आरक्षित स्थानों में फेरबदल :- वर्तमान समय अनुसूचित जातियों को अनुसूचित कबीलों के लिए सुरक्षित रखे स्थान निश्चित है चुनाव आयोग ने यह सुझाव दिया था कि इन स्थानों की अदला-बदली होनी जरूरी है.

भारत में हुए चुनावों का इतिहास इस वास्तविकता की पुष्टि करता है कि तत्कालीन विषय भी मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं 1970 के चुनावों में लोगों के समक्ष जून 1975 में लागू की गई आंतरिक आपातकाल घोषणा चिंतन का विषय आपातकालीन घोषणा के क*** कांग्रेस को ठुकराया था तथा जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दिया था परंतु जब जनता पार्टी की आर्थिक फूटने देश में अच्छाई राजनीतिक स्थिति उत्पन्न करती थी तो स्थानीय लोगों ने 1980 में पुणे कांग्रेस आई को शासन सत्ता 7 दिसंबर 1986 में कांग्रेस को भारी सफलता मिली क्योंकि इस पार्टी में श्रीमती इंदिरा गांधी इसे पूरा लाभ उठाया था तथा लोगों से देश की एकता तथा अखंडता के नाम पर मतों की मांग की थी . जब नवंबर 1989 मैं लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय बोफोर्स तोप के फोटो में किए गए कथित घोटाले का विषय बहुत तगर्म विषय था इसके कथित भ्रष्टाचार ने और प्रशासन ने प्रत्येक क्षेत्र में विस्तृत स्तर पर लोगों के मतदान व्यवहार को पर्याप्त प्रभावित किया था मरीजों के चुनाव के समय बाबरी मस्जिद विवाद के अतिरिक्त मंडल आयोग की रिपोर्ट और देश में बढ़ रहे आंतकवाद के विषय में भी लोगों के मतदान को पर्याप्त प्रभावित किया था अप्रैल-मई 1996 में हुए 11 वीं लोकसभा के चुनावो के समय हवाला घोटाला चीनी घोटाला आवास घोटाला और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में काफी लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित किया था फरवरी मार्च 1998 में हुए 12 वीं लोक सभा के चुनाव के समय मोर्चा की सरकारों की निराशाजनक था और कांग्रेस द्वारा संयुक्त मोर्चा की सरकारों से अपना समर्थन स्वार्थी राजनीतिक हितों के लिए वापस लेने के नेताओं ने काफी अधिक लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित किया था इसी तरह सितंबर अक्टूबर 1999 में हुई 13 वी लोकसभा के चुनावो को कारगिलमुद्दा दूरसंचार घोटाले चीनी घोटाला तथा देशी विदेशी के मुद्दे ने प्रभावित किया था. अप्रैल-मई 2004 में हुए 14 वीं अप्रैल-मई 2009 मैं हुए 15 तथा अप्रैल - मई 2014 में हुए 16 वीं लोकसभा चुनाव में आंतकवाद महंगाई आई विदेशी बैंकों में जमा धन को वापस लाने विकास के मुद्दे ने काफी अधिक मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित किया था.

जिसमें यह कहा जा सकता है कि भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला कोई एक सत्य नहीं है बल्कि अधिक तक है नितिन मतदाता विभिन्न तत्वों से प्रभावित होते हैं भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है .

इस लोकतंत्र में यह निश्चित करना असंभव है कि संपूर्ण देश में कितने प्रतिशत मतदाताओं का मतदान व्यवहार राजनीतिक दलों के कार्यक्रम से कितने प्रतिशत मतदाता ध्यान के प्रभाव से अथवा कितने प्रतिशत मतदाता जातिवाद भाषावाद से प्रभावित होते हैं परंतु इस विषय में कहा जा सकता है कि भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार को निश्चित करने में राजनीतिक दलों की नीतियों तथा कार्यक्रम की अपेक्षा जातिवाद सांप्रदायिक प्रांतवाद अथवा क्षेत्रवाद तथा धन का अधिक महत्व है.

भारतीय संविधान ने भारत में संसदीय प्रजातंत्र की व्यवस्था की है संसदीय प्रजातंत्र में नियतकालीन चुनाव का होना अनिवार्य है. भारतीय चुनाव पद्धति के विषय में कुछ व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में और कुछ व्यवस्थाएं 1951 के जनप्रतिनिधि कानून में की गई है. इन व्यवस्थाओं के अनुसार 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए उस समय से वर्तमान समय तक भारतीय प्रणाली में कई प्रकार के दोष या अवगुण अनुभव किए गए हैं. इसलिए जो लगभग समस्त राजनीतिक दलों राजनीतिज्ञों और जनसंगठनों द्वारा भारतीय चुनाव प्रणाली में ऐसे सुधार करने की मांग की गई है जो भारतीय चुनाव प्रणाली को एक आदर्श प्रणाली का स्वरूप प्रदान कर सके .